

ब-अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(6)

पी0ए0 केश नं0- 10/16-17

सोमाय पहाड़िया बनाम् रैयान, मौजा-जोजोटोला बढौना

27-6-18


—: आदेश :—


वर्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। उक्त वाद में दो व्यक्तियों द्वारा प्रधानी बहाली हेतु आवेदन दिया गया है। श्री संजाला सोरेन द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा-5 तथा सोमाय पहाड़िया द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा-6 के तहत आवेदन दिया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक-79, दिनांक-25.02.2015 से प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें संलग्न अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक सोमाय पहाड़िया पूर्व प्रधान चान्दु पहाड़िया के भाई गुहिया पहाड़िया के वंश से आते हैं। प्रतिवेदित वंशावली के अनुसार सोमाय पहाड़िया के पिता मैसा पहाड़िया हैं तथा मैसा पहाड़िया के पिता गुहिया पहाड़िया हैं, जो विगत सर्वे खतियान मौजा-जोजोटोला बढौना, जमाबंदी नं0-3 प्रधान का जोत में पूर्व प्रधान चान्दु पहाड़िया के साथ सह-रैयत हैं तथा सोमाय पहाड़िया को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-जोजोटोला बढौना नं0-43 का प्रधान नियुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है। आवेदक सोमाय पहाड़िया के विरुद्ध निर्योग्यता संबंधी कोई आपत्ति दर्ज नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा बासकी हरिजन बनाम् घनश्याम मंडल C.W.J.C. No.-12793/23 में निदेशन है कि even in a case where there are two applications, the authorities as in first consider the case on the basis of hereditary right. साथ ही माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, राँची के द्वारा बाबूलाल मंडल बनाम झारखंड सरकार WPCP No.-338/2008 में निदेशन है कि firstly persons claiming right to the post on the basis of hereditary will be considered- if one of them is not found acceptable by the villagers then as per Rule the S.D.O. should go for election.

अतः अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक-79, दिनांक-25.02.2015 के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत सोमाय पहाड़िया, पे0-मैसा पहाड़िया, मौजा-जोजोटोला बढौना नं0-43, जमाबंदी नं0-03, अंचल-बोआरीजोर को मौजा-जोजोटोला बढौना नं0-43 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।